न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 36/2013 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2013/09919)

जीवन सिंह पुत्र श्री कलुआ जाति कोली निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. ताराचन्द
2. सेहनलाल

पुत्रान कारे जाति कोली निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

3. जवित्री पत्नी अशोक कुमार
4. सुमन पत्नी अनिल कुमार

जाति खटीक निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 14.12.1989

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 25.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.12.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता कारे द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर इस्तदुआ की गई कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपु

कारे की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 1674 मिन 4 बीघा वाकै धनवाडा तहसील के नये सैटिलमेन्ट विभाग से बनाये गये नम्बर को सायल/कारे की खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर मौके के मुताबिक व गत खातेदारी इन्द्राज के मुताबिक रकबा पूरा किया जावे। क्यों कि सायल/कारे का रकबा 4 बीघा कम कर दिया है जबकि सायल/कारे का रकबा गत खसरा नम्बर 1672/ 3 बीघा 3 विस्वा तथा 1673 4 बीघा 11 विस्वा एवं 1674 मिन 4 बीघा कुल 12 बीघा होना चाहिऐ था मौके पर है। वह इसी प्रकार काबिज है। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.1989 पारित करते हुये यह आदेश दिये कि खसरा नम्बर 1674/5.05 में से 4 बीघा रकबा नारायन पुत्र चन्नी कोली ने कारे पुत्र मौहरपाल को जरिये बयनामा बेचान किया है। जिसके हाल खसरा नम्बर 2395/0.53 बना है जो सैटिलमेन्ट ने सहवन से नारायनदास पुत्र चुन्नी कोली के नाम दर्ज कर दिया है। अतः हस्व रिपोर्ट तहसीलदार एवं बयनामा के मध्यनजर खसरा नम्बर 2395/0.53 का इन्द्राज कारे पुत्र मौहरपाल कोली के नाम दर्ज किया जावे एवं इसी प्रकार रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं आये। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन आदेश से तहत अदालत ने विवादित आराजी पर बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा में अपीलान्ट के पूर्वज नारायन पुत्र चुन्नी का नाम निरस्त करते हुये उत्तरवादी संख्या 1 व 2 के पिता पूर्वज स्व0 कारे के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है जो न्यायसंगत नहीं है। यह कि आराजी खसरा न म्बर 2395/0.53 के गत खसरा नम्बर 1674 मिन/4.0 का आवंटन दो टुकडों में 2 बीघा 15 विस्वा व 1 बीघा 5 विस्वा कुल 4 बीघा वाकै ग्राम धनवाडा तहसील कुम्हेर का अपीलान्ट के पूर्वज नारायन पुत्र चुन्नी कोली निवासी कुम्हेर को आवंटन सलाहकार समिति भरतपुर ने किया है। उसके आधार पर स्व0 नारायन के नाम गैर खातेदारी/खातेदारी के इन्द्राज भी हो चुके है। इस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वादित आराजी नारायन की खातेदारी में दर्ज रही है। बिना नारायन को सुने तहत ने अपीलाधीन आदेश दिया है जो निरस्त योग्य है। यह कि स्व0 नारायन ने प्लान्ट के हक में विधिवत रूप से निष्पादित व पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 25.8.1988 छोडा है उसके आधार पर स्व0 नारायन के मरणोपरान्त विवादित आराजी परअपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 6.7.1989 को नायब तहसीलदार कुम्हेर ने स्वीकृत किया है इस विवादित पर अपीलार्थी खण्डनाधीन आदेश के जारी होने के दिन व उससे पूर्व खातेदार काश्तकार काबिज रहा है। उसे बिना सुने अपीलाधीन आदेश दिया गया है जो त्रुटीपूर्ण है। यह कि राजस्व अभिलेख में उक्त नामानतरकरण वहक अपीलार्थी का इन्द्राज नहीं होने के कारण खातेदारी के इन्द्राज नारायन के ही नाम चले आ रहे थे उनका फायदा उठाने की गरज से किसी विक्रय का हवला देते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या एवं बनावटी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और मिथ्या रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार न्यायालय तहत के समक्ष प्रस्तुत करायी है जबकि उस समय नारायन जीवित नहीं रहा था और उसके स्थान पर अपीलार्थी काबिज काश्तकार रहा था और बिना खातेदार काश्तकार को सुने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटी की है। प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना या बिना सुने 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह कि उत्तरवादी के पूर्वज कारे की खातेदारी का कोई रकबा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी में अंकित खसरा नम्बर 2395/0.53 में सम्मलित नहीं किया गया है उसका रकबा 64 ऐयर के स्थान पर 53 ऐयर ही दर्ज किया है जो गत के मुकाबले 11 ऐयर कम अंकित किया गया है इस प्रकार कोई तारतम्यता प्रस्तुत प्रकरण में उत्तरवादी के हक में नहीं बैठती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड मौका एवं कानून के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के पूर्वज नारायन को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही कोई सूचना दी गईहै। अपीलार्थी चूंकि विवादित आराजी का खण्डनाधीन आदेश पारित होने सेपूर्व से खातेदार काश्तकार रहा है इसलिऐ उसके खातेदारी के रकबे को सुने बिना उत्तरवादी के पूर्वज कारे के नाम करने का आदेश दिया है जिससे अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होते है। अदालत मातहत ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो आदेश दिए हैं वह भी उचित नहीं है। इस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आदेश 136 के प्रार्थना पत्र में दिया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी अधीनस्थ के आदेश से परिवेदित है। इस आदेश के बने रहने से उसके अधिकार समाप्त हो है इसलिऐ अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की जा रही है। आज्ञा हेतु 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है । यह कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया है इसलिऐ उक्त आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अब पटवारी हल्का के द्वारा बतलाने पर दिनांक 3.4.2013 को अपीलार्थी ने आदेश तहत नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया जिसकी दिनांक 8.4.2013 को नकल प्राप्त हुई। नकल मिलने से अपील अपील अपीलार्थी जानकारी होने के दिन से अन्दर अवधि पेश की जा रही है। धारा 5 प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। तहत न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया है जो काबिले मंसूखी है।

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 14.12.1989 निरस्त किया जावे। रैस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 न तो स्वयं ही उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुए। इसलिए प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलान्ट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.04.2013 को पटवारी हल्का से होने के बाद नकल हेतु आवेदन किये जाने व नकल दिनांक 08.04.2013 को मिलने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 10.06.2013 को अपील पेश की गई है। रैस्पों0 संख्या 3 व 4 की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट तथा रैस्पो0 संख्या 1 की ओर से श्री ताराचन्द व श्री भारत भूषण एडवोकेट उपस्थिति हुए तथा रैस्पों0 संख्या 2 की विधिवत तामील होने के बाबजूद न तो स्वयं उपस्थित हुए तथा न ही उनकी ओर से कोई अभिभाषक ही उपस्थित हुए। रैस्पो0 सं0 1, 3 व 4 की ओर से अपीलान्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का न तो कोई दबाव दिया गया और न ही
काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से
के संबंध में अपील में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रह
जाता है। इसके अलावा भी मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय
द्वारा आर.आर.डी 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है
कि "Limitation Act,1963 Section 5.& While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.1989 उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रैस्पों0 द्वारा अदालत मातहत में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं की खातेदारी के कम रकवे को गत खसरा नं0 1674 में रकवा 4 बीघा के नये सैटिलमेन्ट विभाग से बनाये गये नम्बर को सायल की खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर मुताबिक गत खातेदारी इन्द्राज के रकवा पूरा किये जाने का अनुरोध किया गया है। रैस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित साविक ख0नं0 1674 रकवा 4 बीघा को नया नं0 2385 रकवा 0.53 हैक्टे0 बनने व रिकार्ड में नारायण पुत्र चुन्नी कोली के नाम दर्ज होने का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की कि प्रस्तावित परिवर्तन करने से प्रार्थी के खातेदार का रकवा वेशी हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी नारायण पुत्र चुन्नी की खातेदारी में दर्ज भूमि को अपने नाम कराना चाहते है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विवादित खसरा नं0 जिसको स्पों0 अपनी खातेदारी में दर्ज कराना चाहते थे, के खातेदार को नोटिस आदि जारी कर नवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना आवश्यक था परन्तु अदालत मातहत की ावली में ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि लत मातहत द्वारा विवादित भूमि के खातेदारों को कोई नोटिस आदि जारी किया गया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...लाना अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय दिनांक 14.12.89 को पारित किया ... वह भी स्पीकिंग नहीं होकर संक्षिप्त है जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है। ... अलावा अदालत मातहत को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व यह भी देखना ... चाहिए था कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिगर ...व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज भूमि को सम्बन्धित खातेदार को सुने बिना क्या रैस्पो0 की खातेदारी में भूमि दर्ज की जा सकती थी परन्तु इसके बारे में अदालत मातहत का कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.89 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नये सिरे से स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय पारित करें।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 25.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग भरतपुर